



सत्यमेव जयते

File No.9-HRB042/2022-CHA

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND
CLIMATE CHANGE

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Integrated Regional
Office, Chandigarh



फाइल नम्बर: 9-HRB042/2022-CHA

दिनांक: 05.05.2022

सेवा में

नोडल ऑफिसर एवं अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी),
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
C- 18, वन भवन, सेक्टर 6,
पंचकुला, हरियाणा |

विषय: Diversion of 0.5352 ha. forest land in favour of Executive Engineer, T.S Division HVPNL Rewari for erection of 132 KV S/C Transmission line from 220 KV D/C Station Deroli Ahir to Seka s/station through various strip forests under forest division and Distt Mahendergarh, Haryana(Online Proposal No. FP/HR/TRANS/142899/2021)

सन्दर्भ: i). प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र संख्या प्रशा डी तीन 10287/112 दिनांक 15.04.2022.

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से संदर्भित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 0.5352 हेक्टेयर वन भूमि की मांग की गई है।

2. प्रस्ताव से सम्बंधित निम्नलिखित जानकारी भेजने का कष्ट करे:-

- प्रयोक्ता एजेंसी HVPNL रेवाड़ी, के दू प्रस्ताव FP/HR/Trans/6597/2014 & FP/HR/Trans/4903/2014 Stage-II अनुमोदन के लिए लंबित हैं, जबकि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ऑनलाइन पार्ट- I के कॉलम B-1 के तहत 'पूर्व में प्रस्तुत प्रस्तावों की सूची' को 'Nil' प्रस्तुत किया है, अतः उपरोक्त प्रस्ताव की टाइम लाइन के अनुसार अनुपालना रिपोर्ट/यथास्थिति भेजे एवं ऑनलाइन पार्ट- I के कॉलम B-1 में सही जानकारी अपलोड की जाए।
- प्रस्तावित स्थल के परीक्षण के लिए, वन और गैर-वन क्षेत्र सहित ट्रांसमिशन लाइन के पूर्ण संरेखण(alignment) का KML जरूरी है, जबकि केवल उपयोग की जा रही वन भूमि के पैच को KML फ़ाइल के रूप में अपलोड किया गया है। अतः वन और गैर-वन क्षेत्र सहित ट्रांसमिशन लाइन के पूर्ण संरेखण(alignment) के KML को ऑनलाइन पार्ट- I के कॉलम C-1 के तहत अपलोड करने की आवश्यकता है।
- सीए के लिए प्रदान किया गया 1.368 हेक्टेयर पोलिगन बहुत लंबा है, जिसमें गंभीर सुरक्षा मुद्दे हो सकते हैं। अतः संशोधित कॉम्पैक्ट पोलिगन एक ही संरक्षित वन(PF) से सीए के कॉम्पैक्ट एरिया को चुनकर प्रस्तुत करे।
- गणना सूची के अनुसार विभिन्न species के वृक्ष काटे जा रहे हैं। जबकि ऑनलाइन पार्ट- II के कॉलम 4(ii) में कुल 218 वृक्षों में से 203 को Misc. Species के रूप में दिखाया गया है। सभी वृक्षों का species-वार व वृक्षों की परिधि-वार गणना को ऑनलाइन पार्ट- II के कॉलम 4(ii) में अपलोड करने की आवश्यकता है।
- प्रयोक्ता एजेंसी सैद्धान्तिक स्वीकृति(S-I) की शर्तों के अनुपालन के लिए अपने स्तर पर कोई प्रस्ताव लंबित नहीं होने का अंडरटेकिंग प्रस्तुत करे।
- प्रस्तावित 132 केवी एस/सी ट्रांसमिशन लाइन का 220 केवी D/C स्टेशन डेरोली अहीर से सेका सब स्टेशन तक निर्माण होना है, जबकि परियोजना की मंजूरी डेरोली अहीर से अटेली सब स्टेशन तक है, जिसका उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
- सीए साइट मंडलाना कच्छी नाहर के लिए भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया गया है, अतः संशोधित भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए।
- राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई केएमएल फाइल व डीजीपीएस मैप के अनुसार कुल सीए एरिया 2.368 हेक्टेयर की बजाय 9.6 हेक्टेयर है, जो कि निगरानी(monitoring) के समय 9.6 हेक्टेयर में से 2.368 हेक्टेयर क्षेत्र का पता लगाना मुश्किल होगा। अतः Field में सही सीमांकन के साथ कुल 2.368 हेक्टेयर क्षेत्र का ही केएमएल फाइल व डीजीपीएस मैप बनाकर अपलोड किया जाए।

3. उपरोक्त जानकारी इस पत्र के जारी होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करे जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

भवदीय

हस्ता/-

(राजा राम सिंह)

उप-वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय)
IRO, MoEF&CC, Chandigarh

File No.9-HRB042/2022-CHA

प्रतिलिपि:

1. The Divisional Forest Officer, Forest Division & District Mahendergarh, Haryana
(dfomgarh@yahoo.co.in)
2. The Executive Engineer, TS division, HVPNL, District- Rewari, Haryana.
(sdehvpncnst@gmail.com)

Signed by Raja Ram Singh
Date: 05-05-2022 17:17:44
Reason: Approved